

महिलाओं का समूह में यात्रा पर रियायत

1	योजना का नाम	महिलाओं का समूह में यात्रा पर रियायत
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	राजस्थान राज्य में न्यूनतम 5 महिलाओं के समूह को, साधारण एवं दुरतगामी सेवाओं में 25 प्रतिशत रियायत
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2007 (14.5.2007)
4	लाभान्वित वर्ग	महिलाएं
5	पात्रता	न्यूनतम पांच महिलाओं का समूह
6	देय सुविधाएं	25 प्रतिशत रियायत
7	आवेदन का तरीका	निगम बसों में समूह यात्रा के लिये तत्परता
8	आवेदन कहां किया जावे	यात्रा के समय परिचालक से समूह यात्रा का टिकिट प्राप्त करना।
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान की समान यात्रा
10	सम्पर्क सूत्र	निगम के विभिन्न आगारों के मुख्य प्रबन्धक